

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-4/2013/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 2013

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सीधी भरती के लिये आयोजित परीक्षा एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति ।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 2030/चार/नि-2 दिनांक 22-6-63, 1360/853/नि-2/69/चार, दिनांक 25-8-69, 750/1166/IV/R:I दिनांक 16-6-76 एवं ज्ञापन क्रमांक डी 129/285/94/नि-1/चार, दिनांक 8-4-1994.

—••—

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सीधी भरती के लिये आयोजित परीक्षा एवं/ अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु यात्रा भत्ता देने संबंधी पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित करते हुये सन्दर्भित ज्ञापनों की शर्तों के अनुसार यात्रा भत्ता की पात्रता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(1) रेल से यात्रा करने पर

स.क्रं	रेल से यात्रा	पात्रता
i	प्रथम श्रेणी पद के लिये अभ्यर्थी जिन्हें साक्षात्कार/लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया गया है ।	रेल की ए.सी. 3 श्रेणी से यात्रा की एकल किराया राशि .
ii	द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थी जिन्हें साक्षात्कार/लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया गया है ।	द्वितीय श्रेणी साधारण शयनयान से यात्रा की एकल किराया राशि .
iii	चतुर्थ श्रेणी के अभ्यर्थी जिन्हें साक्षात्कार/लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया गया है ।	द्वितीय श्रेणी साधारण शयनयान से यात्रा की एकल किराया राशि .

/2/

- (2) निजी बस सेवा अथवा शासकीय बस सेवा से यात्रा करने की स्थिति में बस का किराया देय रहेगा ।
- (3) रेल से यात्रा करने पर आरक्षण शुल्क, इंटरनेट शुल्क आदि वैधानिक चार्जस भी यात्रा टिकिट के साथ शामिल किये जायेंगे ।
- (4) यदि यात्रा जीप, टैक्सी, शेयर टैक्सी के द्वारा की गई है, तो ₹ 1/- प्रति किलोमीटर की दर से गणना कर यात्रा की राशि का भुगतान किया जावेगा ।
- (5) यदि रेल/बस टिकिट प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब ₹ 1/- प्रति किलोमीटर की दर से गणना अथवा रेल/बस का वास्तविक किराया, जो भी कम हो दिया जावेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(मनीष रस्तोगी)
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग